निवेदन समिति

292. **(घ) (प) समिति का गठन-** बिहार विधान-सभा की एक निवेदन समिति होगी, जिसमें सभापति सहित कम से कम 19 सदस्य होंगे। समिति के सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा करेंगे।

(पप) **सदन में निवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया-** सदस्य अत्यन्त लोक महत्व के किसी एक विषय पर निवेदन की सूचना सभा की बैठक प्रारंभ होने के एक घंटा के अन्दर सचिव को दे सकेंगे; परन्तु एक सदस्य एक दिन में एक से अधिक ऐसी सूचना नहीं दे सकेंगे। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया निवेदन 10 पंक्तियों से अधिक का नहीं होगा। निवेदन की सूचना सत्र समाप्ति के दो दिन पूर्व ही दी जा सकेगी । अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत निवेदनों पर सदन की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद निवेदन की प्रति संबंधित विभाग को भेज दी जायगी, जिसका उत्तर 15 दिनों के अन्दर संबंधित सदस्यों को विभाग द्वारा भेज दिया जाएगा। और इसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान-सभा को विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायगी।

मान्य निवेदनों की सूचना अध्यक्ष प्रति-दिन सभा के कार्यक्रम के समापन के पूर्व प्रस्तुत कर सकेंगे। स्वीकृत निवेदन किसी भी स्थिति में वापस नहीं होंगे।

(पपप) **समिति की अवधि-** समिति का कार्यकाल एक वर्ष तक या नयी समिति के गठन तक होगा।

(पअ) **समिति का कृत्य-** स्वीकृत निवेदनों की जांच एवं प्रतिवेदन देना।